**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 1644**

**27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**cs?kj yksxksa dks vkokl miyCèk djkuk**

1644- Jh bykekje djhe%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ ns'k esa orZeku eas cs?kj O;fDr;ksa dh la[;k fdruh gS(

¼[k½ o"kZ 2014 ls o"kZ&okj ,sls yksxksa dh la[;k fdruh&fdruh jgh gS(

¼x½ o"kZ 2014 ls fHkUu&fHkUu ;kstukvksa ds rgr ,sls fdrus cs?kj yksxksa dks ?kj ¼edku½ iznku fd, x, gSa(

¼?k½ laLohd`r ?kjksa esa ls orZeku esa fdrus jgus ;ksX; fLFkfr esa gSa( vkSj

¼³½ ljdkj gekjs ns'k dh tutkrh; vkcknh dks vkokl lqfoèkk iznku djus ds fy, fdl izdkj dh ;kstuk cuk jgh gS\

उत्तर

**आवासन और शहरी कार्य** राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में बेघर आबादी की कुल संख्या 17,72,889 है। इसमें से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर आबादी 8,34,541 है और शहरी क्षेत्रों में 9,38,348 है।

(ग) से (ड): दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के “शहरी बेघरों के लिए आश्रय” घटक के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी बेघरों के लिए कुल 1776 स्थायी आश्रय संस्वीकृत किये गए हैं जिनमें से, 58713 की क्षमता वाले 1076 आश्रय चल रहे हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी) [पीएमएवाई(यू)] में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग से संबंधित लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत, 17.12.2018 की स्थिति के अनुसार, निर्माण हेतु कुल 65,48,824 आवासों का अनुमोदन किया गया है जिसमें से 35,92,656 आवास निर्माणाधीन हैं। 12,75,706 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 12,51,881 आवासों का लाभार्थियों ने कब्जा ले लिया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना(ग्रा.) [पीएमएवाई(जी)] {पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना से पुनर्गठित} के अंतर्गत सभी बेघरों और कमरा रहित और कच्ची दीवारों वाले और कच्ची छत के एक अथवा दो कमरों के मकान मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित लक्ष्य का 60% अनुसूचित जातियों(एससी)/अनुसूचित जनजातियों(एसटी) के लिए निर्धारित है बशर्ते कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र लाभार्थी उपलब्ध हों। निर्धारित लक्ष्यों में, एससी और एसटी के अनुपात का निर्णय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014 से 21.12.2018 तक प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रा.) [पीएमएवाई(जी)]/इंदिरा आवास योजना(आईएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कुल 1,32,43,561 आवास निर्मित किए जा चुके हैं।

अवसंरचना विकास का अधिकांश कार्य और देश के जनजातीय क्षेत्रों/अंचलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों /कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय इन महत्वपूर्ण अन्तरालों को पाटकर इन पहलों को पूरा करने की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त, “विशेष रूप से उपेक्षित जनजातीय समूहों का विकास(पीवीटीजी)” स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार धनराशि जारी की जाती है। आवास इसके तहत कवर की गई गतिविधियों में से एक है।

\*\*\*\*\*\*\*